

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बानो।

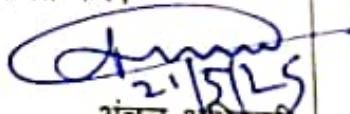
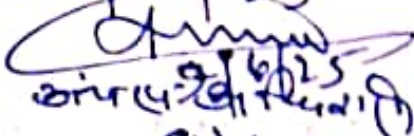
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश- पत्रक

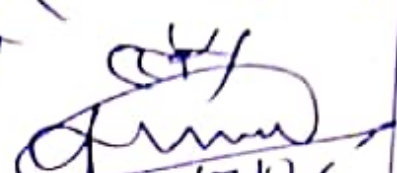
विविध वाद सं०- 02/2025-26

आवेदक/आवेदिका का नाम- मो० मुमताज अन्सारी पिता- स्व० सनाउल्लाह अन्सारी
ग्राम- बानो, थाना- बानो, जिला- सिमडेगा

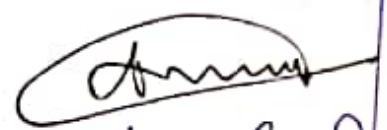
वाद का प्रकार- रिजवान अन्सारी पिता- स्व० मुर्तजा अन्सारी
प्रखण्ड - बानो ग्राम- थाना- बानो अनुमंडल- जिला- सिमडेगा

क्र० सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित								
21.5.25	आवेदक मो० मुमताज अन्सारी, पिता- स्व० सनाउल्लाह अन्सारी, ग्राम- बानो, पो०- बानो, थाना-बानो, जिला- सिमडेगा, द्वारा निम्नांकित भूमि के बाबत विपक्षी मो० रिजवान अन्सारी एवं मो० जावेद अन्सारी पिता- स्व० मुर्तजा अन्सारी द्वारा दावा किया जा रहा है, जबकि उनका कोई हक नहीं है, संबंधित भूमि का जो मेरे हिस्से की भूमि है मुझे भू-स्वमित्व प्रमाण-पत्र लेना है जिसमें बाधा किया जा रहा है। भूमि का विवरण <table><tr><th>मौजा</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>बानो</td><td>3</td><td>1841</td><td>0.05ए०</td></tr></table> उपर्युक्त भूमि के बाबत प्रथम पक्ष मो० मुमताज अन्सारी एवं द्वितीय पक्ष मो० रिजवान अन्सारी द्वारा दावा- प्रतिदावा किया जा रहा है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर भूमि पर दावे के संबंध में कागजात की मांग करें तथा इसी बीच संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन की मांग करें एवं अभिलेख दिनांक 9.6.25 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, बानो।	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	बानो	3	1841	0.05ए०	
मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा							
बानो	3	1841	0.05ए०							
9.6.25	अभिलेख उपस्थापित। अन्सारी - मुमताज अन्सारी पक्ष को नोटिस निर्गत किया जा रहा है। नोटिस 25 निर्गत करें तथा दावे दिनांक 02/07/25 को करें।  अंचल अधिकारी, बानो।									

27/7/25 अभिलेख उपस्थापित। उद्यम पक्ष अनुपस्थित।
कदी। प्रतिवादी को सु: समान करे तथा
वाद दिनांक - 18/7/25 को


27/7/25
अंचल अधिकारी
कानो।

18-07-25 अभिलेख उपस्थापित। उद्यम पक्ष अनुपस्थित, द्वितीय पक्ष
उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। वाद दिनांक 14/8/25
को रखें।


अंचल अधिकारी
कानो।

मो० रिजवान

14-08-25 अभिलेख उपस्थापित। उद्यम पक्ष उपस्थित। हाजरी
दाखिल किया गया है। राजस्व उपनियंत्रक सह
प्रभावी अंचल नियंत्रक कानो का जॉय प्रतिवेदन
प्राप्त है। प्रतिवादी मो० रिजवान अंसारी द्वारा
प्रशस्त भूमि खता घं०- 3, प्लॉट नं० 1841
संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जो अभिलेख
के साथ खेला गया।

आवेदक मो० मुमताज अंसारी, पिता -
यनाउल्लाह अंसारी, ग्राम - कानो, थाना - कानो द्वारा
मौजा - कानो के खता नम्बर - 03, प्लॉट नं० - 1841
रकबा 0.05 एकर भूमि का भू-स्वामित्व प्रमाण
पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन दिये हैं जिस पर
प्रतिवादी मो० रिजवान पिता स्व० मुरज्जा, ग्राम
कानो, थाना - कानो द्वारा लिखित आपत्ति दर्ज की
गई है।

आवेदक मो० मुमताज द्वारा दावा किया गया है कि प्रश्नगत भूमि इनके पिता बनाउल्लाह द्वारा खरीदी गई है एवं इनके हिस्से की भूमि है। प्रतिकारी मो० रितवान अंगरी द्वारा दावा किया गया है कि उक्त भूमि मो० बनाउल्लाह एवं मो० मुरतजा दोनों भाइयों की भूमि है जिन्होंने एक भूरा में मो० बनाउल्लाह के वंशज मो० मुमताज एवं दूसरे हिस्से में इनके पिता मो० मुरतजा के वंशज के रूप में इनके हिस्सा प्राप्त हैं। अर्थात् वंशवारा में प्राप्त उपरोक्त भूमि पर मो० मुरतजा के वंशज के रूप में लगातार दखल कब्जा में चले आ रहे हैं। इसी भूमि के अन्य दूसरे हिस्से पर आवेदक मो० मुमताज एवं अन्य दखल कब्जा में थे जिन्होंने पूर्व में अपने हिस्से की भूमि को बिक्री कर चुके हैं।

प्रतिकारी मो० रितवान द्वारा कानो-कोलेबिरा परियोजना में खारा नं०-3, प्लॉट नं०-1841, रकबा 0.24 एकर भूमि के सड़क निर्माण में अधिग्रहण संबंधी नोटिस एवं मुकदमा सैं०-115/60-61 में प्रश्नगत हिस्से भूमि के एक हिस्से का मुआवजा 519.89 पेसा दोनों भाइयों अर्थात् मो० मुरतजा एवं मो० बनाउल्लाह को प्राप्त होने संबंधी साम्य प्रमाण दिया गया जो न्याय अभिलेख में संलग्न है।

प्रभारी अंगल निरीक्षक सह राजस्व उपनिरीक्षक ब्लॉक-5, कानो द्वारा लक्षित जॉच प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि खारा नं०-3 प्लॉट नं०-1841 सर्वे दफ्तर के अनुसार कब्जा दर्ज होने एवं पंजी-11 में रैथर मो० बनाउल्लाह वगैरह पे० मो० अस्तुल अजीज के नाम जमाबंदी

कायम होने तथा प्रस्ताव भूमि में वर्तमान में
मो० रिजवान द्वारा शेड का धप्पर निर्माण
किये जाने का उल्लेख किया गया है।

प्रस्ताव भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी
द्वारा दावा - प्रतिदावा किया जा रहा है, जो
स्वत्व का मामला प्रतीत होता है तथा इस
न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है।

अतः आवेदक मो० सुमराज अंबारी
के खाता नं०- 3, प्लॉट नं०- 1841, रकबा 0.05
एकड़ भूमि का भू-धारण प्रमाण पत्र हेतु
दिए गए आवेदन को अस्वीकार करते हुए
वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

①

14/08/25

लेखापति एवं लेनोपति
अंचल अधिकारी
कानो।

①

14/08/2025
अंचल अधिकारी
कानो।